कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल

क्रमांक 123 /विधि /प्र.अ./लो.स्व. यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 04/01/2024

प्रति,

(1) समस्त मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र ——————
वि./यां. परिक्षेत्र——————

(2) समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंडल/परियोजना मंडल ——————

(3) समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खंड ——————

विषय :– **दिनांक 31.08.2016 के पूर्व मृत हुये कार्यभारित कर्मचारियों के परिजनों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने हेतू दायर किये गये न्यायालयीन प्रकरणों का यथोचित प्रतिरक्षण करने के संबंध में।**

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र कमांक 15476/स्था.अराज./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2023 भोपाल दिनांक 11.12.2023

00

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा कार्यभारित स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने के प्रावधान वर्ष 2000 में समाप्त कर दिए गए थे। म. प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 5–1–2016–1–3 भोपाल दिनांक 31–08–16 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा पुनः अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के आदेश किये जारी गए है। परिपत्र में निम्नानुसार उल्लेख है :–

> सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी 3–12/2013/1–3, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति के दिशा–निर्देश जारी किये गये है। परिपत्र की कण्डिका 11.1 में यह प्रावधान है कि कार्यभारित/आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के दिवंगत होने पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, परन्तु उनके परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को एकमुश्त रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) की राशि अनुकंपा अनुदान के नाम से दी जायेगी। उसमें ग्रेज्यूटी की राशि सम्मिलित नहीं होगीं। इस राशि का भुगतान संबंधित विभाग के कार्यभारित/आकस्मिकता के मद के अंतर्गत वेतन मद से किया जावेगा।
> 2– राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले सेवा के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान विद्यमान व्यवस्था अनुसार किया जाए।

अतः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 में जारी दिशा–निर्देशों के मापदण्ड के अनुरूप ही कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के दिवंगत होने पर उनके आश्रित को इसी सेवा की स्थापना के रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उक्त परिपत्र की प्रभावशीलता अवधि के संबंध में म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के समसंखयक परिपत्र दिनांक 21.03.2017 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा निम्नानुसार स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है:–

2– इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा के कर्मचारियों के लिये अनुकंपा नियुक्ति दिनांक 31.08.2016 से ही प्रभावशील है। इसके पूर्व के प्रकरण दिनांक 29.09.2014 को अनुकंपा नियुक्ति के जारी निर्देशों के प्रावधान अनुसार ही निराकृत किये जायेगें अर्थात उन्हें केवल अनुकंपा अनुदान की पात्रता होगी अनुकंपा नियुक्ति की नहीं। तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

परिपत्र दिनांक 21.03.2017 से यह स्पष्ट है कि दिनांक 31.08.2016 के पूर्व सेवाकाल के दौरान मृत हुये कार्यभारित कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है तथा उनके लिए म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी 3–12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 29.09.2014 (प्रतिलिपि संलग्न) में पूर्व से ही निहित प्रावधानों के अनुसार, अुनंकपा अनुदान की राशि रू. 2.00 लाख दिये जाने की व्यवस्था है।

विभाग के संज्ञान में ऐसे अनेको न्यायालयीन प्रकरण आये हैं जिनमें म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 31.08.2016 को आधार बनाकर, दिनांक 31.08.2016 के पूर्व मृत हुये कार्यभारित कर्मचारियों के परिजनों द्वारा भी अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने हेतु मान0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशनस दायर की गई हैं। इसमें अनुकंपा अनुदान राशि प्राप्त कर चुके एवं प्राप्त नहीं करने वाले, दोनों ही प्रकार के मृतक कार्मचारियों के आश्रित शामिल है ।

यह पाया गया है कि कुछ प्रकरणों में मान0 उच्च न्यायालय ने **पूर्ण न्यायपीठ (तीन न्यायधीशों की बेंच)** द्वारा प्रकरण **आर.पी.न. 868/2018 (म0प्र0 शासन एवं अन्य विरूद्ध लक्ष्मण प्रसाद रैकवार)** में पारित आदेश **दिनांक 04.10.18** में निर्धारित किये गये सिद्धांत के अनुसार, कर्मचारियों के आश्रितों की रिट पिटीशनस/ रिट अपीलों को मान्य कर दिया है। कुछ विभागीय प्रकरण अभी भी मान न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन है ।

इसी प्रकृति के एक विभागीय प्रकरण **एस.एल.पी.(सिविल) कमांक 6903/2021 (म0प्र0 शासन एवं अन्य विरूद्ध आशीष अवस्थी)** में पारित निर्णय **दिनांक 18.11.2021** एवं संगत **रिव्यु पिटिशन.(सिविल) क्रमांक 512/2022 (आशीष अवस्थी विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य)** में पारित निर्णय **दिनांक 04.05.2022** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि "**अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में पात्रता का**

4/1

निर्धारण कर्मचारी की मृत्यु के दिनांक को लागू पालिसी के अनुसार ही किया जावेगा। यानि यदि मृत्यु दिनांक को अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान नही हो तो आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त नही होगी।"

उपरोक्तानुसार विभाग में दिनांक 31.08.2016 के पूर्व मृत हुये कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है।

यही सिद्वांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों क्रमशः **Indian Bank and Ors. Vs. Promila and Anr., (2020) 2 SCC 729, State of Madhya Pradesh and Ors. Vs. Amit Shrivas, (2020) 10 SCC 496** एवं **Canara Bank Vs. M. Mahesh Kumar (2015) 7 SCC 412** में भी प्रतिपादित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के चारों निर्णयों की छायाप्रतियॉ आपके सुलभ अवलोकनार्थ संलग्न है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि विभाग में वर्तमान में विचाराधीन/निर्णित प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर उल्लेखित निर्णयों को संबंधित शासकीय अधिवक्ता के संज्ञान में अनिवार्य रूप से लाये तथा प्रभावी प्रतिरक्षण सुनिश्चित करें। यदि आपके परिक्षेत्र/मंडल/खंड के अधीनस्थ इस प्रकृति के किसी प्रकरण में अनुकंपा नियुक्ति दी गई है तो उसे भी समय रहते न्यायालयीन कार्यवाही करते हुये तत्काल समाप्त करायें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार परिपत्र एवं निर्णय

प्रमुख अभियंता